भाकृअप–भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
इज्जतनगर–243122 (उ.प्र.) भारत
ICAR-INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE
IZATNAGAR-243122 (U.P.) INDIA

पत्रांक: 8–2/2015–हिन्दी

दिनांक: 14 अगस्त, 2020

परिपत्र

निदेशक एवं अध्यक्ष सं.रा.का.स., की अध्यक्षता में संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की हिन्दी त्रैमासिक बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2020 को वैब के माध्यम से अपराह्न 3.00 बजे आयोजित होनी है। सभी समिति सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में वैब के माध्यम से अपनी उपस्थिति समयानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

उमा दत्त

प्रभारी, राजभाषा अनुभाग

वितरण:–

1. निदेशक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर को सूचनार्थ।
2. सभी संयुक्त निदेशक, वित्त नियत्रंक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष,, प्रभारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी तथा सभी अनुभाग अधिकारी, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर ।
3- प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय , भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर ।

संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 15 फरवरी, 2020 को सम्पन्न हुई त्रैमासिक बैठक के अनुरूप की गई अनुवर्ती कार्रवाई

1. **धारा 3 (3) का अनुपालन**

   पिछली बैठक के पश्चात त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के आंकडो को भरने से लेकर प्रोफार्मा ठीक ढंग से भरा जायें इसके लिए एक समीक्षा बैठक की गयी और आंकडों को ठीक व सुनियोजित ढंग से भरना सिखाया गया। भविष्य में सभी विभागों/अनुभागों को यह सतत प्रयास करना होगा कि उनके विभाग/अनुभाग द्वारा इस धारा के तहत जारी सभी कागजात अनिवार्य रूप से हिन्दी या द्विभाषी में ही जारी किये जायें।

2. **पदों को भरने पर परिचर्चा**

   समिति की बैठक में पदों को भरने से संबंधित वार्ता की गयी और सहायक प्रशासनिक अधिकारी एम.आर.डी.पी.सी से कहा गया कि पदों को भरने से संबंधित कार्रवाई को लेकर आई.सी. आर. पत्राचार किया जाये और इसको प्राथमिकता के तौर पर रखकर अग्रिम कार्रवाई की जाऐ।

3. **धारा 3(3) और राजभाषा नियम 5 के अनुपालन के संबध में**

   धारा 3(3) और राजभाषा नियम 5 के अतंर्गत 'क' क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यानुसार अनुपालन के संबंध में चर्चा हुई और डा. चतुर्वेदी उपाध्यक्ष, सं.रा.का.समिति, ने धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम–5 को पावर प्वाइन्ट के माध्यम से आंकडों को भरना बताया गया।

4. संयुक्त निदेशक (कैडराड) का कथन था कि फाइलों पर लिखी जाने वाली टिप्पणियाँ/नोटिंग कभी–कभी बहुत हतोत्साहित करने वाली होती है अतः टिप्पण आदि कार्य सर्वथा हिन्दी में ही किये जाने चाहिए। उनका यह सुझाव था कि सामान्य हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया जाये और संवैधानिक रूप से धारा 3(3) का पालन किया जाये।

   इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

14.8.2020

दिनांक 19.08.2020 को आयोजित संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में विचारणीय मद

1. पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।
2. धारा 3(3) के अनुपालन पर चर्चा।
3. 14 सितम्बर हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य पर हिन्दी दिवस/ सप्ताह/ पखवाड़ा आयोजित करने के विषय पर परिचर्चा।
4. सदस्यों के सुझाव।
5. अध्यक्ष महोदय की अभ्युक्ति।
6. धन्यवाद ज्ञापन।